





X FREE

1955
JANTA FILMS INTERNATIONAL PICTURES
SHOHRAT
KALYAN THAKUR

मुंबई में अनियमित बस्तियों की स्थिति की ओर एक नजार

अँड्री हेगन

एक छोटी सी भूमिका के रूप में हम यह जानकारी दे रहे हैं कि भारत की जनसंख्या में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। जब कि 1941 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 318.7 मिलियन लोग थी और जो आखरी जनगणना 2001 में हुई, उसके अनुसार 1012 मिलियन लोग हो गई। यह साठ वर्षोंमें हुई जनसंख्या वृद्धि का आलेख है जो 300% वृद्धि दिखलाता है। यदि भारत की शहरी जनसंख्या की ओर देखें तो शहरी क्षेत्रों में 285.4 मिलियन लोग रहते हैं।

आज मुंबई के 50 से 60% 12 मिलियन लोग शहर की 16% भूमि.4में अनियमित बस्तियों में रहते हैं - हम लगभग 6.5 मिलियन लोगों के बारे में कह रहे हैं। इस प्रकार मुंबई का हतबा दुनिया में स्लम वासियों की सबसे अधिक बड़ी जनसंख्या वाले शहर का है परिणाम स्वरूप मुंबई ने एक रंगीन विशेष नाम अर्जित किया है सलम्बे। 1993 में बृहन्मुंबई महानगर पालिका निगम के अनुमानिक निर्णय से पश्चिम और पूर्वी उपनगरों में बराबरी की संख्या में स्लम निवासी थे (पश्चिमी उपनगरों में 2,227,300

स्लम निवासी और पूर्वी उपनगरों में 2,170,730) लेकिन इसकी संपूर्ण जनसंख्या के सन्दर्भ से तो पूर्वी उपनगरों में अधिक स्लम निवासी (77.4%) है जबकि पश्चिमी उपनगरों में 56.6% ही स्लमवासी थे और सबसे कम दक्षिण मुंबई (आयलैन्ड सिटी) में 34.1% या 1,077,610 स्लमवासी थे। बृमपानि के हिसाब से मुंबई में कुल मिलाकर 5,475,640 स्लम निवासी थे जो उसकी संपूर्ण जनसंख्या के 55.3% थे। 6

एक औसतन स्लम के पर का आकार मैं ने देखा है कि वह एस पी ए आर सी उपयुक्त वर्तमान साइट-डोन्सेरी 13.5% परिवार है। जबकि एक अन्य अंदाज है कि सभी स्लम वासियों के 80% परिवार 100ft²(या 9m²) अफजूलपूरकर 1995 के आकार के घरों में रहते हैं। और भी एक अन्य अंदाज के मयताबिक इन घरों का आकार 161 ft² (15 m²) से भी छोटी है जिनमें 67% स्लम निवासी रहते हैं। यह अंतर इस तथ्य के सन्दर्भ में समझा जा सकता है स्लम के घरों में अक्सर

माला (थ्र्डू) होते हैं ये 4 से 5 (1.2 स्पे 1.5 स) ऊँचे होते हैं और सामान्यतः सामान रखने या सोने के काम में आते हैं। ये प्रभावी ढंग से काम में आने वाले क्षेत्रफल का आकार बढ़ा देते हैं।

मेरी राय में मुंबई के ज्यादा तर स्लम्स एक समान कठिनाइयों का सामना करते हैं। अपर्याप्त या अप्राप्त फिजीकल इनफ्रास्ट्रक्चर के कारण अनेक समस्याएं पैदा होती हैं जैसे कि पानी और बिजली के कतरस्थन्‌स का नहीं मिलना और सामान्य रूप से गटरों-नालियों और शौचालयों की सुविधाओं का अभाव, खुली नालियां और अपर्याप्त साफ सफाई कुछ अत्यधिक दबाव डालने वाली समस्याओं में से हैं। आज भी बहुत से निवासियों के पास खुले में मलमूत्र उत्सर्ग करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैसे कि सड़कों के किनारे, क्रीक्स या ड्रेनेज चेनल्स में, समुद्री किनारे पर या चट्टानों के पीछे, यह इस पर निर्भार है कि जहां सुविधा मिले वहीं निपट लिया जाय। वर्षा ऋतु के दौरान क्षेत्र में पानी की बाढ़ का आना स्थात्यय के लिये बड़ा खतरा लाता है, विशेष कर बच्चों के लिये। बुरी तरह प्रदूषित पानी स्लम के झोपड़ों में भर जाता है, तब परिवार के लोग अपने सामान को सूखा रखने या सोने के लिये सूखे स्थान के लिये संघर्ष करते हैं।

फिर लोग ऐसे जोखिम - भरे हालातों में क्यों रहते हैं, जहा स्वास्थ्य के लिये खतरों के साथ मूल इनफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है साथ ही बच्चों की सुरक्षा भी नहीं होती? मुंबई में एफोर्डेबल घरों की कमी के कारण, विशेषकर निम्न आयवर्ग के गरीब परिवारों को अनियमित बस्तियों में जहां सस्ती जगह मिलती है रहने को मजबुर होना पड़ता है। मुंबई में सामान्यतः घर बहुत महंगे हैं। इसका एक कारण है कि शहर के विस्तार को रोकने वाली सीमाओं का होना - विशेषकर 1990 में जब आर्थिक उदारीकरण सुधारों के दौर में बहुत से बहुराष्ट्रीय कापोरेशन्स अपने दक्षिण एरीया क्षेत्र के प्रधान कार्यालयों की स्थापना मुंबई में

कर रहे थे तो वहां के रियल स्टेट्स के भाव दुनिया के सबसे ऊँचे भाव थे। और जब कि एक कंपनी कर्मचारी का औसत वैतन लगभग ₹.2000 और ₹.3000 प्रतिमाह है एक 10 मी² का घर आसानी से 1200₹. प्रतिमाह किराये पर अनियमित शर्तों में होता है। नियमित रूप से घर लेना तो बहुत अधिक महँगा है और सामान्यतः मालिकाना आधार पर होता है। लोग अक्सर वहीं रहते हैं जहां उन्हे काम मिलता है। उन स्थानों में, जहां काम के अवसर उपलब्ध होते हैं वहां बहुत से स्लम बन गये हैं। अक्सर बहुत कम आमदनी होने के कारण और साधारण घर भी बहुत महंगे होने के कारण, परिवार दूरी पर स्थित काम के स्थानों पर आने जाने का खर्च बर्दाशत नहीं कर सकते। इसलिये लोग काम के स्थान के जितने पास हो सके उतने पास और सस्ते हो सकें उतने सस्ते, एफोर्डेबल घरों में रहते हैं।

एक कदम आगे :

स्लम पुनर्विकास योजनाओं का बनना :

1991 में स्लम रीडवलपमेन्ट स्कीम (एसआरडी) बनाई गई। इसकी रणनीति यह थी कि वर्तमान स्लम्स को विकसित कर उन्हे उच्च-घनाव के रूप में पुनर्विकसित किया जाय। एस आर डी का उद्देश्य था कि निजी व्यावसायिक क्षेत्र के ड्वलपर्स और बिल्डर्स को स्लम ड्वलपमेन्ट के लिये पर्याप्त आर्थिक इन्सेन्टिव्स देकर ऐसे मध्यम ऊँचाई के एपार्टमेन्ट्स ब्लाक्स बनाकर उनमें स्लम परिवारों का पुनर्वसन किया जाय और ड्वलपर्स की लाभ लेने की अनुमति दी जाय।

इसलिये सरकार ने भूमिविकास कानूनों में परिवर्तन किये और स्वीकृत स्थान- धनत्व में वृद्धि कर दी जिसे फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (एफएसआई) में नापा जाता है। फ्लोर स्पेस इन्डेक्स उस स्वीकृत फ्लोर स्थान को बतलाती है जो किसी स्थान पर निर्मित किया जा सकता है। उदाहरण के लिये यदि एफ एस आई 2.0 है और एक स्थान 100मी 2 है, तो उसका स्वीकृत फ्लोर स्थान 200 मी 2 होगा। राज्य की बाजार के हित में नीतियां, स्लम निवासियों की इच्छा और ड्वलपर्स के

लिये आकर्षक लाभ का इन्सेन्टिव होने के बावजूद, स्कीम के क्रियान्वयन की गति धीमी रही।

1995 के चुनाव में नई सरकार इस वायदे के साथ चुनकर आई कि शहर के 40 लाख स्लम वासियों को 8लाख घर मुफ्त प्रदान किये जाएंगे। इस चुनावी वायदे को पूरा करने की दिशा में पहला कदम या उसके क्रियान्वय के लिये फ्रमवर्क तैयार करना। सरकार ने दी स्लम एरिया(इम्पूवमेन्ट, क्लियरेन्स एंड रिहेबीलिटेशन) एक्ट आफ 1971 को बदलने के बाद एक स्लम रिहेबीलिटेशन अथार्टी (एस आर ए) की स्थायता की। इसमामले में यह अकेला संयोजक अधिकरण होगा। यह कार्यकारी एजेन्सीज को स्थापित करेगा जैसे कि निजी लाभ के लिये डबलपर्स, सार्वजनिक संस्थाएं, नान गवर्नमेन्टल आर्गेनाइजेशन्स, और स्लम वासियों की कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटीज आदि। एस आर ए का प्रमुख महाराष्ट्र शासन का मुख्यमंत्री होगा और प्रमुख कार्यकारी अधिकारी एक सीनियर ब्यूरोकेट होगा। एस आर ए विराम योजनाओं को फिर से रिड्राफ्ट कर सकें या बिल्डिंग्स को अनुमति प्रदान कर सकें इसके लिये दी बाढ़े म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट तथा महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट को अपनाम पढ़ा।

एक बड़ी बात इसकी परिभाषा तय करना है कि पुनर्वसन फ्लेट पाने की पात्रता किसे होगी ? वे सभी स्लम और फुटपाथ पर रहने वाले परिवार जो यह सिद्ध कर सकें कि उनका नाम 1-1-95 की चुनाव - सूचि में दर्ज था, वे ही 225 फीट² या 20.90 मी² (कार्पेट-एरिया) का घर मुफ्त में पाने के पात्र होंगे। इस तरह पात्रता सिद्ध होने पर और एस आर ए सहायता प्राप्त स्कीम के शुरू होने पर इसमें शामिल निजी डबलपर को स्कीम प्रभावित प्रति परिवार के पीछे रु. 20,000/- जमा करना होंगे। इस जमा राशि के व्याज की रकम से प्रतिमाह मेनटेनेन्स खर्च और म्यूनिसिपल टेक्स भरा जाएगा। ऐसी आशा की जाती है कि डबलपर्स अतिरिक्त आवासीय और व्यावसायिक

इकाइयों को बेंचकर पर्याप्त लाभ कमाएंगे जिससे से मुफ्त घर और रु.20.000 प्रति परिवार जमा राशिदे सकेंगे।

एक हरित कार्यक्रम का क्षेत्र में प्रवेश

स्लम रिडवलपमेन्ट स्कीम एक स्थानीय नीति के रूप में विकसित हुई थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर कोस्टल रेगुलेशन जोन्स (सीआरझेड) नियोजन किये जा रहे थे। वे भूतपूर्व भारतीय प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1981 में शुरू किये गये थे और 19 फरवरी 1991 में जाकर भारत सरकार ने अपने पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) के द्वारा उन सभी राज्यों में जो समुद्री किनारे पर स्थित हैं इन्हे लागू किया गया। एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 3 (1) और 3 (2) (5) में तथा रुल 5 (3) (डी) - एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स में स्थापित। केंद्रीय सरकार ने सभी प्रभावित राज्यों से आग्रह किया कि वे अपने यहां कोस्टल मेनेजमेन्ट प्लान्स (सीझेडएमपी) ये कोस्टल जोत मेनेजमेंट प्लान्स (सीझेडएमपी) केन्द्रीय मिनिस्ट्री आफ एनवायरनमेन्ट एंड फारेस्ट को भेजे जाने थे। अगस्त 1995 में महाराष्ट्र सरकार ने अपने (सीझेडएमपी) को मिनिस्ट्री को भेजा पर उसमें मुंबई शहर के नदी किनारे और क्रीक्स शामिल बर्दी थे। शर्द्धे ने 1996 में अपनी स्वीकृति इस शर्त पर दी कि महाराष्ट्र सरकार उसमें नदी किनारे, क्रीक्स और बेक वाटर क्षेत्रों जो छूट गये थे उन्हे भी सीझेडएमपी में शामिल करें यह कार्य नवम्बर 1998 में पूर्ण हुआ। अंततः महाराष्ट्र का १०६ जनवरी 2000 में पूर्ण हुआ। लागू करें जिसके अंतर्गत उन सभी क्षेत्रों के लिये जो समुद्र की हाई राइड लाइन से 500 मीटर के अंतर्गत आते हैं यह लागू होगा। इन क्षेत्रों के अंतर्गत समुद्री किनारे या खाड़ियां, सेन्चुरीज, क्रीक्स, नदि किनारे या बेकवाटर्स और मेनग्रोव्स आते हैं। तीन जोन्स स्थापित किये गये हैं।

सी आर झेड 2 : सम्पूर्ण मुंबई प्रभावित

नक्शा स्पष्ट रूप से बतलाता है कि सी आर झेड 2 मुंबई के लिये एक महत्वपूर्ण नीति है। जबकि इसके

अंतर्गत किसी भी वर्तमान सड़कों के समुद्री किनारे की तरफ की जमीन पर या अधिकृत स्ट्रक्चर में किसी नये निर्माण की अनुमति नहीं है। वर्तमान सड़कों के जमीन की तरफ के स्थानों में या स्ट्रक्चर्स में नया निर्माण वर्तमान फ्लोर इंडेक्स (ईए) सहित वर्तमान स्थानीय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग-रेगूलेशन के अंतर्गत विषय है। अधिकृत इमारतों के पुनर्निर्माण, उसके उपयोग को बिना बदले वर्तमान एक ऐसे आई नियमों पर निर्भर हैं। ऐसी डिजाइन्स और निर्माण आसपास के भुद्रश्यों से मेल खाते हुए होना चाहिये।

सेप्टेम्बर 1997 में महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी ने यह स्वीकार किया था कि मुंबई में सी आर झैड 2 के क्रियान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयां थीं। उसने केन्द्रीय पर्यावरण और बन मंत्रालय से, नई स्लम पुनर्निवास स्कीम (एंए) के संदर्भ में निवेदन किया था कि इस स्कीम के अंतर्गत पुनर्विकास को अधिकृत स्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण माना जाय। सुन्दर बर्रा 2003 जिसे मंत्रालय ने सेप्टेम्बर 1998 में अस्वीकार कर दिया और निर्देश दिया कि मुंबई में सी आर झैड 2 सेद प्रभावित स्लम्स को फरवरी 1991 से लागू कानून मानता होंगे। वास्तव में यह निर्णय, मुंबई में स्लम डवलपमेन्ट पालिसी की सारी उपलब्धियों को वापस-घुमाने वाला था, विशेष कर उन स्लम्स के लिये जो वर्तमान स्ट्रक्चर्स के जमीन की ओर स्थित हैं।

परिणाम

एक स्लम पुनर्वसन योजना (एसआरएस) जो वर्तमान सड़कों के जमीन की ओर के पुनर्विकास पर केन्द्रित थी, उसे स्टेन्डर्ड प्रोजेक्ट का 2.5 एफ एस आई, मिला हुआ था (या 3.0 भी उन मामलों में जहां स्थान का धनत्व उच्चतम बनता था। अब उसे घराकर 1.66 कर दिया गया। जब कि प्रोजेक्ट एफ एस आई के अनुसार ही उपलब्ध बिल्ट अप ऐरिया बनता है, जिसके आचार पर आवासीय या व्यावसायीक जगह, विक्रय के लिये उपलब्ध होती है। इस नये घरे हुए बिल्ट अप ऐरिया के

कारण स्लम डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने वालों के लिये लाभ में कमी आर्गई।

वर्तमान सड़कों के समुद्र की ओर वाले स्लम्स के पुनर्निर्माण की संभावनाएं तो पूरी तरह से समाप्त हो गईं। इस तरह से एक अधिक मानवीय शहरी विकास के लिये की गई अब तक की सारी प्राप्ति विलोप हो गई। मुंबई के समुद्रीतटों के पर्यावरणीय संरक्षण के नाम पर वहां हो रहे शहरी-पर्यावरण सुधार पर रोक लग गईं। इस प्रकार पूर्व की भयंकर स्थिती ज्यों की त्यों बनी रह गईं।

महत्वपूर्ण है कि सीआर झैड के नोरी फिकेशन के क्रियान्वयन के समय तक रिहेबीलीटेशन अथार्ट ने प्रोजेक्ट एफ एस आई 2.5 के साथ, 58 स्लम रिहेबीली टेशन स्काम्स को स्वीकृति देती थी और इसमें से 19 स्कीम्स में अधिकांश निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके थे। इस विपरीत स्थिती को ध्यान में रखते हुए स्लम रिहेबीलीटेशन अथार्ट ने महाराष्ट्र शासन से निवेदन किया कि इस मामले को केन्द्रीय मंत्रालय के सामने उठाने के साथ इन पूर्व में स्वीकार और आधी-पूर्ण स्कीम्स को जो 2.5 की एफ एस आई की गारंटी प्राप्त थी वे चालू रखी जाय। अंततः मार्च 2002 में केन्द्रीय मंत्रालय ने एक परिवर्तित नोटी फिकेशन जारी किया, जिसके अनुसार यह घोषणा की गई कि हाई टाइड से पुनर्निर्माण की दूरी 100 मीटर्स या क्रीक की चौड़ाई के बराबर रखी जाय।

अंत निष्कर्ष

(करेंट 2004 में की गई शोध सन्दर्भ देता है।)

कम धनत्व के स्थानों के मामलों में (20 मीटर प्रति परिवार से अधिक) ऐसा संभव होना चाहिये कि मुमकिन पुनर्विकास योजनाएं वर्तमान प्रोजेक्ट एफ एस आई 1.66 के साथ पूरी की जा सके। -समझो वहां 500 से अधिक पुनर्विकास इकाइयां नहीं हैं जिन्हे प्रत्येक को 10,000 मीटर्स की जरूरत है। और मातों कि इन्सेटिव डवलपमेन्ट राइट्स (अंग) मल्टीप्लाया 1.33 हैं जैसा कि धारावी के मामले में है जहां के स्थान का

घनत्व बहुत अधिक, 500 परिवार प्रति हेक्टर है, या एक वाइटल स्कीम में : वाइटल स्कीम्स में अधिक महत्वपूर्ण पुनर्वासन योजनाएँ हो सकती हैं जो सार्वजनिक प्रयोजन से भूमि को मुक्त करने के लिये शहर द्वारा नियोजन की जाती हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है, मुंबई अरबन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (श्लॉड)

अति अधिक घनत्व के स्थानों के मामलों में (500 परिवारों से अधिक प्रति हेक्टर) वर्तमान में प्रोजेक्ट एफ एस आई 1.66 के अंतर्गत यह संभव नहीं है कि मुमकिन सी आर झोड पुनर्विकास योजनाएँ बनाई जा सकें इस प्रकार आवासीय और व्यापारिक इकाइयों के वर्तमान बाजार भाव और वे भाव जो वर्तमान में ट्रांसफटेबल डबलपमेट राइट्स के हैं या निर्माण लागत के साथ यह परामर्श योग्य है कि प्रोजेक्ट एफ एस आई को 1.33 से बढ़ा कर 2.25 बढ़ा दी जाय जिससे योजनाएँ संभव हो सकेंगी।

इसमें बिल्कुल सन्देह नहीं है कि भारत के समुद्री किनारों के संरक्षण के लिये संवेदनशील पर्यावरणीय प्रभागों (ऐए) की आवश्यकता है। इसमें भी सन्देह नहीं है कि इस दिशा में किये जा रहे प्रयत्नों को अधिक मजबूत करना है। लेकिन कोस्टल रेग्लेशन जोन्स पालिसी इसके वर्तमान रूपमें दुर्भाग्य से इस तथ्य को स्वीकार नहीं करती कि भारतीय समुद्री किनारों में परस्पर बहुत अधिक विभिन्नता है और उन्हे सामान्यतः चार श्रेणियों में नहीं बाटा जा सकता। वर्तमान कानून में भारत के शहरी समुद्री-टटों के वातावरण की वास्तविकता का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रतिबिम्बित नहीं होता। भारत के शहरी समुद्री टटों की विशिष्टताओं का विस्तार से विश्लेषण किया जाना जरुरी है, इसके पहले कि कोई सूचना पत्र यह बहाना बनाने हुए घोषित किया जाय कि यह समुद्री तरों और वातावरण की सुरक्षा के लिये है जबकि वास्तविकता में यह पर्यावरण सुधार पर रोक लगा रहा हो।

नगर पालिकाओं को यह निर्णय लेने के अधिकार देना

चाहिये कि वे किसी भी स्थान विशेष में पुनर्विकास या अन्य प्रकार के विकास करने की अनुमति दी जाय या नहीं, यदि दी जाय तो किन शर्तों पर, आदि मामलों में निर्णय ले सकें। अनियमित बस्तियों और संगठनों को ध्यान में रखते हुए स्थान विशेष के वातावरण और पर्यावरण की दशाओं की ठीक से केस स्टडी की जाना चाहिये।

सी आर झोड 2 के अंतर्गत, वर्तमान अधिकृत स्ट्रक्चर्स के जमीन की ओर स्थित स्लम्स को उनके पुनर्विकास के लिये अतिरिक्त एफ एस आई का लाभ व्यायों मिलता है ? और यह तथ्य की उपेक्षा करके कि किसी क्षेत्र की श्रेणी में वृद्धि होने से वहां की भूमि के मूल्य बढ़ जाते हैं। सारे शहर के वातावरण में सुधार (बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर में वृद्धि सहित) होता है। इन बस्तियों का पुनर्विकास संभावनाओं की कमी और लाभ प्रद नहीं होने के कारण रुका पड़ा है, परिणाम स्वरूप विनियोग करनेवाले इन जोन्स का विकास करने के लिये प्रोत्साहित नहीं होते। एन जी ओ बिल्डर्स ऐसे पुनर्विकास से दूर रहते हैं जिसके होने की संभावताएँ नहीं हैं। व्यायों कि नियमित बैंक उन्हीं योजनाओं को ऋण देना पसंद करते हैं जिनके सफल होने की गारंटी होती है।

सामान्यतः: यह समझने योग्य बात है कि समुद्रतटीय क्षेत्रों में बढ़े हुए घनत्व के प्रति सावधानी वर्ती जाना चाहिये विशेष कर 2004 की सुनामी के बाद से। पर मुंबई का वर्तमान घनत्व जो दुनिया का सबसे अधिक घनत्व है के बारे में और मानव की जरूरतों जैसे कि पर्याप्त साफ-सफाई ; उपयुक्त ड्रेनेज सुरक्षित पानी, और कचरे को ठिकाने लगाने की व्यवस्था आदि के सम्बंध में यह ठीक नहीं है कि अनियमित बस्तियों को पुनर्विकास कार्यक्रम से बाहर रखा जाय, जो कि एक ऐसी नीति पर आधारित है जो कि मुंबई की शहरी वास्तविकता और क्षेत्रीय-पर्यावरण की समस्याओं की ओर से आँखें मूंदे हुए हैं।

वर्तमान स्ट्रक्चर्स के पानी की दिशा में स्थित सभी स्लम्स

को वर्तमान में पुनर्विकास और अन्य सभी प्रकार के विकासों से बाहर रखा गया है। वे सामान्यतः सी आर झेड 3 के अंतर्गत स्थित होने हैं। सी आर झेड 1 की सीमा पर (हाई टाइड लाइन के नजदीक) मुंबई के उत्तरी पश्चिमी उपनगरों में, मतोरी या मढ़ क्रीक्स के किनारों पर नदियों, मधफलेट्स या समुद्र की ओर की चट्टोनों पर, नियमित इमारतों के पीछे जो स्लम स्थित हैं, वे अब किसी भी विकास से बाहर रखे गये हैं तो उन्हे वहां टायलेट सुविधाओं के निर्माण की अनुमति भी नहीं मिलेगी।

एक ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है कि इन बस्तियों को भी शहर के विकास में शामिल किया जा सके, विशेष कर इसलिये कि ये बड़ी कठिनाइयों भरे क्षेत्रों में स्थित होते हैं उदाहरण के लिये वर्षा में पानी की बाढ़ का आना। अब एक रास्ता यह हो सकता है कि स्लम रिहेबीलिटेशन एक्ट के मुताबिक इन परिवारों को या ले पास ही के क्षेत्र में (याद स्थान उपलब्ध है तो) या उन वर्तमान पुनर्विकास योजनाओं में मुफ्त केपेसिटी के साथ (जहां 500 रिहेबोलीटेशन यूनिट्स से कम प्रति हेक्टर बसे हों) - इस बीच सेनीटेशन सिस्टम्स और पर्याप्त इनफ्रास्ट्रक्चर के उनके मानवीय अधिकारों की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये। सामूहिक टायलेट्स-ब्लाक्स का निर्माण और लोगों व्यारा स्वंयं चलाये जाने वाले कचरा फेंकने की व्यवस्था आदि इस दिशा में पहले चरण हो सकते हैं।

सभी उत्तरदायी अधिकरणों व्यारा एक साथ मिलकर इस दिशा में काम करने का पक्का इरादा होना चाहिये कि सभी निवासियों के लिये, एक स्वस्थ शहरी वातावरण बनाने के लिये जो भी संभव है उसपर ध्यान केन्द्रित करें बजाय राजनीति के। हरित कार्यक्रम सी आर झेड को, शहर की जमीनी-वास्तविकता से जोड़कर और इसके निवासियों की जीने की दशाओं के मानवीय अधिकार जो वास्तव में संपूर्ण पर्यावरणीय उत्तरदायक का आधार है को मान्यता

देते हुए, फिर से ड्राफ्ट किया जाना चाहिये। जब तक लोग अपने जीने की दशाओं से कष्ट उठा रहे हैं तब तक उन्हे इस बात की बहुत कम समझ होती है कि किन कारणों से समुद्री-तट, उस पर लगी मेनग्रोव्स और समुद्र की सुरक्षा करना जरूरी है ? और वे लोग उन वर्तमान कानून कायदों का तभी पालन कर सकते हैं जब कि उन्हे परे हटा कर कुछ अन्य सुविधा संपत्र लोगों की जरूरतों के लिये वे कानून ने अपनाये गए हों।

इस पाठ का प्रसंग

2004 में मेरे लेख का केन्द्रीय विषय विशिष्ट रूप से मुंबई में शहरी विकास की प्रक्रिया था। वह उस शोध पर आधारित था जिसमें मैं 2001 से लगा हुआ था। तब मैं, सोसायटी फार प्रमोशन आफ एरिया रिसोर्स सेन्टर्स (SPARC) SPARC 1984 से शहरी गरीबों के लिये आवास व्यवस्था में संलग्न जो एक भारतीय नान गवर्नमेन्ट आर्गेनाइजेशन था का एक स्वयंसेवक था। अधिक स्पष्ट रूप में मैं नेशनल कोस्टल रेग्युलेशन झोन्स (CRZ) नीति और उसके परिणाम, मुंबई में स्थानीय स्लम पुनर्विकास प्रक्रिया पर होने वाले परिणामों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा था।

स्रोत :

- ★ बाब्बे : दी सिटीज विदित .शारदा विवेदी, राहुल मेहरोत्रा, एमीनेस्स डिज्ञाइन्स
- ★ प्राय. लि. मुंबई 1995.200
- ★ मेट्रोपोलिस नात ! अरबन कल्वर्सइन ग्लोबल सिटीज रमेश कुमार बिस्वास,
- ★ स्प्रिंगर वेरलाग बीन.2000
- ★ पब्लिक प्लेसेज बाब्बे, राहुल मेहरोत्रा गुन्डेर नेस्ट. मेक्समूलर भवन बाब्बे / अरबन
- ★ डिज्ञाइन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मुंबई, एमीनेस्स डिज्ञाइन्स प्रा.लि.
- ★ स्क्वेटर्स एज डवलपर्स ? स्लम रिडवलपमेन्ट इन मुंबई वित्त मण्डीजा,

- ★ किंनास् एस औ ए एस स्टडीज इन डवलपमेन्ट जागरफी एशगेट हेमशाया 2003
- ★ चेंजिंग दी रूल्स गाइड लाइन्स फार दी रिवीजन आफ रेगुलेशन्स फार अरबन
- ★ अपग्रेडिंग केस स्टडी इंडीया सुन्दर बर्षा, एस पी ए आर सी. 2003.
- ★ सिटीज अल्लायंस प्रोजेक्ट आन प्रोपुअर स्लम अपग्रेडिंग फ्रेमवर्क फार मुंबई, इंडिया
- ★ फर्स्ट रिपोर्ट सबमिटेड टू सिटीज एलायंस / यूनाइटेड नेशन्स सेन्टर फार ज्ञान सेटलमेंट्स (एचर्जर्ड)बाइ सोसायटी फार प्रमोशन आफ एरिया रिसोर्स सेन्टर्स (एझें)
- ★ 2002
- ★ सिटीज अल्लायंस प्रोजेक्ट आन प्रोपुअर स्लम अपग्रेडिंग फ्रेमवर्क फार मुंबई, इंडिया रिवाइज्ड रिपोर्ट सबमिटेड टू सिटीज अल्लायंस / यूनाइटेड नेशन्स सेटर फार ज्ञान सेटलमेन्ट्स (HABITATE) बाइ सोसायटी फार प्रमोशन आफ एरिया रिसोर्स सेन्टर-(SPARC) 2003
- ★ कम्प्यूनिटी लेड इनफ्रास्ट्रक्चर फायनांसे फेसीलिटी (CLIF) एनुअल रिपोर्ट टू अगस्त 2003 बाइ (एझें)होमलेस इंटरनेशनल सिटीज अल्लायंस
- ★ लेटर फ्राम एस. के.जोशी कन्सर्निज MOEF नोटीफिकेशन रिगार्डिंग CRZ अगस्त 21,2002
- ★ MOEF आर्डर ए.ओ.18 (E) जनवरी 4,2002 आत महाराष्ट्र स्टेट कोस्टल जोन मेनेजमेन्ट अथार्टी ताजा खबर : गारबेज / कम्फोर्टिंग सालिड वेस्ट्स. ए मीन्स टू मेनी एड्स टेकन फ्राम
- ★ दी एस पी ओ आर सी वेब साइट एज़:13 उँड़्दम.
- ★ दी एन्वायरनमेन्टल प्रोटेक्शन रूल्स, 1986, मिनिस्ट्री आफ एन्वायरनमेन्ट एंड फारेस्ट्स (एसी) नोटीफिकेशन, न्यूदेहली 1914 फेब्रुअरी 1991
- ★ दी गजेटियर आफ बाम्बे सिटी एंड आइलैंड. एस एम एडवर्ड्स वाल्यूम-1
- ★ कास्मोपब्लीकेशन्स, इंडिया 2001.

अनुवादक : ज. कु. निर्मल





